

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

न्याय आपके द्वार शिविर अटल सेवा केन्द्र- भुनगडा अहीर

पीठासीन अधिकारी - महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)

दावा

138 / 17

रजू दिनांक

08.06.2017

अंन्तिम निर्णय दिनांक

27.06.2018

अनुवान

1. दलीप सिंह पुत्र शिवराम जाति अहीर निवासी सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

:—वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र श्रीराम

2. सुनील कुमार पुत्र नानगराम

3. ममता पत्नी वीरसिंह

4. सत्यवीर पुत्र श्रीराम

5. सुलतान पुत्र जोधासिंह

6. दयाराम पुत्र श्रीराम जातियान अहीरान निवासीयान सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर

7. राजस्थान सरकार जरियें लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज0

:— प्रतिवादीगण

दावा-खाता विभाजन
मय हु0ई0दवामी



उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

-:अन्तिम निर्णय:-


दिनांक:- 27.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व शिविर न्याय आपके द्वार अटल सेवा केन्द्र भुगनडा अहीर में पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित आये एवं अन्तिम निर्णय कर दिये जाने का निवेदन किया। चूंकि प्रकरण तकासमा आराजी का होकर कुरेजात प्रस्ताव तहसीलदार मुण्डावर से जरिये पत्र दिनांक 27.06.2018 प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। ऐसी स्थिती में यह न्यायालय वादी के वाद को विवादित हाल आराजी ख0 नम्बर 584/0.91 वाके ग्राम सानोली तहसील मुण्डावर के बाबत वादी के वाद को अन्तिम निर्णित किया जाना उचित पाता है।

-:आदेश:-

यह न्यायालय वादी के वाद को तकासमा आराजी का होने एवं कुरेजात प्रस्ताव प्राप्त होकर शामिल पत्रावली होने की स्थिती में विवादित आराजी ख0 नम्बर 584/0.91 वाके ग्राम सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत मुताबिक प्राप्त कुरेजात प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं पक्षकारान के नाम प्राप्त कुरेजात प्रस्ताव अनुसार पृथक-पृथक खातेजात कायम कर लगान का निर्धारण कर हाल रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मुण्डावर उक्तानुसार ही हाल रिकार्ड में अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। बैंक रहन की स्थिती में पक्षकारान को मिलने वाले हिस्से, रकबे, आराजी से ऋण राशि वसूलनीय रहेगी एवं कुरेजात प्रस्ताव मय नजरी नक्शा "प्रदर्श-अ" निर्णय एवं अन्तिम पर्चा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तदानुसार अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर मजमे आम में सुनाया गया।


27.06.18
उपखण्ड अधिकारी
(महेश चन्द्र मान) (अलवर) राज0
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

न्याय आपके द्वार शिविर अटल सेवा केन्द्र- भुनगडा अहीर

पीठासीन अधिकारी - महेश चन्द्र मान (आर०ए०एस०)

रजू दिनांक

08.06.2017

अन्तिम निर्णय दिनांक

27.06.2018

दावा

138/17

अनुवान

1. दलीप सिंह पुत्र शिवराम जाति अहीर निवासी सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर।


:-वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र श्रीराम
2. सुनील कुमार पुत्र नानगराम
3. ममता पत्नी वीरसिंह
4. सत्यवीर पुत्र श्रीराम
5. सुलतान पुत्र जोधासिंह
6. दयाराम पुत्र श्रीराम जातियान अहीरान निवासीयान सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला अलवर राज०

:- प्रतिवादीगण

दावा-खाता विभाजन
मय हु०ई०दवामी


उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०


-:अन्तिम पर्चा डिक्री:-

दिनांक:- 27.06.2018

पक्षकारान की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 27.06.2018 को महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि-

विवादित आराजी ख0 नम्बर 584/0.91 वाके ग्राम सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत मुताबिक प्राप्त कुरेजात प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं पक्षकारान के नाम प्राप्त कुरेजात प्रस्ताव अनुसार पृथक-पृथक खातेजात कायम कर लगान का निर्धारण कर हाल रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मुण्डावर उक्तानुसार ही हाल रिकार्ड में अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। बैंक रहन की स्थिती में पक्षकारान को मिलने वाले हिस्से, रकबे, आराजी से ऋण राशि वसूलनीय रहेगी एवं कुरेजात प्रस्ताव मय नजरी नक्शा "प्रदर्श-अ" निर्णय एवं अन्तिम पर्चा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज तारीख 27.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


27.06.18
(महेश चन्द्र मान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०